

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये राज. जयपुर  
क्रमांक:-नर्सिंग / नर्स-2(F) / डी-4 / 2018 / 256 दिनांक:- 9-3-2018

आदेश

श्रीमती दीपिका गर्ग, नर्स-2, (परिवीक्षाधीन) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कुराबड, जिला उदयपुर का प्रोबेशन अवधि में इनके स्वयं के प्रार्थना पत्र के आधार पर दिनांक 28.11.2016 से 07.12.2016 तक 10 दिवस एवं 11.12.2016 से 15.12.2016 तक 05 दिवस कुल 15 दिवस का असाधारण अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

वित्त विभाग के आदेश संख्या F.1(2)FD(Rules)/06/Part-1 दिनांक 11.06.2014 के अनुसरण में एक माह से अधिक अवधि के उपरान्त उपभोग किये गये असाधारण अवकाश की सीमा तक उनके परिवीक्षाकाल में अभिवृद्धि की जावेगी।



(राकेश शर्मा)  
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान जयपुर  
दिनांक:- 9-3-2018

क्रमांक:-नर्सिंग / नर्स-2(F) / डी-4 / 2018 / 256

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुर।
2. वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कुराबड, जिला उदयपुर
3. श्रीमती दीपिका गर्ग, नर्स-2, को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
4. प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि विभागीय वेबसाइट पर आदेश अपलोड करें।
5. आदेश / रक्षित पत्रावली।



(राकेश शर्मा)  
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान जयपुर